भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–III, खंड 4 में प्रकाशनार्थ

दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार (संशोधन) विनियम, 2018

(2018 का 03)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2018

फाइल सं0 15–01/2016–एफएंडईए–– भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप–धारा (1) के खंड (ख) के उप–खंड (ii), (iii) (iv) और (v) के साथ पठित धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार विनियम, 2009 (2009 का 9) में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत्:–

1. (1) इन विनियमों को दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार (संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 03) कहा जाएगा।

(2) ये विनियम, आधिकारिक राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे ।

2. दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार विनियम, 2009 के खंड 3 में निम्नलिखित खंड बदला जाएगाः

"3. प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार––– प्रत्येक सफल पोर्टिंग के लिए प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार चार रुपये होगा। "

(एस. के. गुप्ता)
सचिव

टिप्पणी 1: मूल विनियम दिनांक 20 नवंबर, 2009 के (2009 का 9) की अधिसूचना संख्या 116–5/2009–एमएन के तहत प्रकाशित किए गए थे।

टिप्पणी 2: व्याख्यात्मक ज्ञापन "दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार (संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 03)" के उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1.1 मौजूदा मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) व्यवस्था के अंतर्गत उपभोक्ता एक सेवा प्रदाता की जगह दूसरे सेवा प्रदाता को अपनाते समय या एक ही सेवा प्रदाता की एक तकनीक की जगह दूसरी तकनीक को अपनाते समय अपने वर्तमान मोबाइल टेलीफोन नंबर को बनाए रख सकता है। यह सुविधा उपभोक्ता को अपने मोबाइल नंबर को न केवल उसी लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्र (एलएसए) के भीतर बनाए रखने बल्कि पूरे भारत में किसी भी एलएसए में बनाए रखने की अनुमति देती है।

1.2 मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी भारत में 2009 से प्रचलन में है, जब दूरसंचार विभाग ने एमएनपी सेवा लाइसेंस दो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाताओं (इस ज्ञापन में आगे इन्हें एमएनपीएसपी कहा गया है) को जारी किए थे। दूरसंचार विभाग ने एमएनपी सेवा लाइसेंसधारकों के लिए, भादूविप्रा द्वारा भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के तहत जारी विनियमों/आदेशों या निदेशों या दूरसंचार विभाग (लाइसेंस प्रदाता) द्वारा समय–समय पर जारी निदेशों का पालन करने को अनिवार्य बनाया है।

1.3 दिनांक 20 नवंबर, 2009 के दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार विनियम (2009) के अनुसार, भादूविप्रा ने 19 रु. 'प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार' के रूप निर्धारित किए थे, जो प्राप्तकर्ता ऑपरेटर द्वारा एमएनपीएसपी को अदा किए जाने थे । तद्नन्तर, प्राधिकरण ने दूरसंचार टैरिफ आदेश (उनचासवां संशोधन), आदेश, 2009 की अधिसूचना के जरिये उस टैरिफ के उच्चतम प्रभार के रूप में 19 रुपये प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार निर्धारित किए थे जो प्राप्तकर्ता ऑपरेटर ग्राहक से ले सकते थे।

1.4 प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार का निर्धारण दो एमएनपीएसपी द्वारा 2009 में प्रस्तुत अनुमानित वित्तीय डेटा और अन्य सूचना के आधार पर किया गया था।

1.5 2015 तक, एमएनपी सेवा के लिए, पूरा देश दो जोनों में विभाजित था और प्रत्येक जोन में 11 एलएसए थे और केवल एलएसए के भीतर एमएनपी सेवा की अनुमति थी। वित्त वर्ष 2015–16 में उस समय एमएनपी के क्षेत्र का विस्तार किया गया जब 3 जुलाई, 2015 से नेशनल रोलआउट (पूर्ण–एमएनपी) के रूप में पूरे देश में सभी लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्रों में एमएनपी सेवा की अनुमति दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप, पोर्टिंग अनुरोधों की संख्या में भारी वृद्धि हुई और ये

2010–11 के 64 लाख से बढ़कर 2014–15 में 368 लाख हो गयी। वर्ष 2016–17 में इनकी संख्या बढ़कर 636 लाख तक पहुंच गई। प्राधिकरण ने पिछले दो वर्षों, जब 3 जुलाई, 2015 से पूरे भारत में एमएनपी सेवाएं शुरू की गई थी, के दौरान, पोर्टिंग अनुरोधों में भारी वृद्धि की समीक्षा भी की।

1.6 भादूविप्रा ने नवंबर, 2009[1] में 19 रुपये 'प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार' निर्धारित किया था । जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, इसका निर्धारण दो एमएनपीएसपी द्वारा 2009 में प्रस्तुत अनुमानित वित्तीय डेटा और अन्य सूचना के आधार पर किया गया था। प्रति पोर्ट प्रभार की गणना 5 वर्षों की अवधि के लिए एमएनपीएसपी की कुल लागत को पोर्टिंग उपभोक्ताओं की अनुमानित संख्या से भाग देकर की गई थी। जहां तक लागत का प्रश्न है तो प्राधिकरण ने दो एमएनपीएसपी की लागत में से जो लागत कम थी, उसी को स्वीकार किया।

विवरण	इकाई	राशि
5 वर्षों के लिए कुल अनुमानित लागत	रु. लाख में	23204.69
5 वर्षों के लिए अनुमानित पोर्टिंग	लाख में	1232.65
5 वर्षों के लिए पोर्टिंग प्रभार प्रति उपभोक्ता	रु. में	18.83
लाइसेंस शुल्क @1%	रु. में	0.19
कुल प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार प्रति उपभोक्ता	रु. में	19.02
पूर्णांक	रु. में	**19.00**

1.7 हालांकि, जब एमएनपीएसपी के अंकेक्षित वार्षिक लेखों के आधार पर प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन लागत (पूर्ण आवंटित लागत पद्धति का इस्तेमाल करके) की 2017 में उपरोक्त आंकड़ों से तुलना की गई तो उसमे प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन लागत में भारी गिरावट दिखाई देती है । वर्ष 2016–17 के लिए एमएनपीएसपी द्वारा प्रस्तुत अंकेक्षित वार्षिक लेखों के आधार पर 'प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार' की गणना निम्नानुसार बनती है :–

[1] 20 नवंबर, 2009 का ''दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार विनियम, 2009''।

विवरण	इकाई	राशि
कुल लागत*	रु. लाख में	1,229.57
प्राप्त प्रोर्टिंग अनुरोधों की संख्या	लाख में	310.47
प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन लागत	रु. में	3.96
लाइसेंस शुल्क @1%	रु. में	0.04
प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार	रु. में	**4.00**

1.8 उपरोक्त सारणी में दी गई कुल लागत* में एमएनपीएसपी द्वारा प्रस्तुत अंकेक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार, परिचालन लागत (कंसलटेंसी और रॉयल्टी प्रभार समायोजित करने के बाद) और मूल्यह्रास एवं परिशोधन और नियोजित पूंजी पर 15 प्रतिशत प्रतिफल शामिल है। ऊपर बताई गई लागत और प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार की गणना करते समय प्राधिकरण ने दो एमएनपीएसपी की निम्नतर लागत पर विचार करने के लिए उसी पद्धति और सिद्धांत का उपयोग किया, जिसका पालन प्रारंभिक प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार निर्धारित करने में किया गया था।

1.9 दूरसंचार एमएनपी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार विनियम, 2009 के विनियम (2) के अनुसार, प्राधिकरण प्रति पोर्ट प्रभार और डिपिंग प्रभार की समीक्षा और इसमें संशोधन कर सकता है।

1.10 दोनों एमएनपीएसपी के वित्तीय लेखों और पिछले दो वर्षों में पोर्टिंग अनुरोधों की संख्या में भारी वृद्धि को देखते हुए प्राधिकरण का यह मत है कि ट्रांजेक्शन की अंतर्निहित लागत और संख्या की तुलना में 19 रु. का मौजूदा प्रभार काफी अधिक है। इसलिए प्राधिकरण ने हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए 18 दिसंबर, 2017 को भादूब्रिपा की वेबसाइट पर ड्राफ्ट ''दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार (संशोधन) विनियम, 2017'' को अपलोड किया। हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 29 दिसंबर, 2017 रखी गई थी। जिसे हितधारकों के अनुरोध को मानते हुए, बाद में बढ़ाकर 12 जनवरी, 2018 किया गया था। इस संबंध में 16 जनवरी, 2018 को एक ओपन हाउस चर्चा भी आयोजित की गई थी।

1.11 अधिकांश हितधारकों (जिसमें टीएसपी और सीओएआई शामिल हैं) ने कहा कि एमएनपी अनुरोधों में वृद्धि और ऐसे अनुरोधों पर कार्यवाही की लागत में कमी को देखते हुए प्रस्तावित 4 रु. प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार भी ज्यादा है और प्राधिकरण को इसे कम करके 2 रु. करने की मांग रखी ।

1.12 अधिकांश हितधारकों ने कहा कि एमएनपीएसपी द्वारा अपनी मूल कंपनियों को अदा किए गए रॉयल्टी और कंसलटेंसी प्रभार बहुत अधिक हैं हालांकि एमएनपीएसपी ऐसी सेवाएं मुहैया नहीं करा रहे हैं, जिनके लिए रॉयल्टी राशियों का भुगतान किए जाने की आवश्यकता है। अतः प्राधिकरण को प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार की गणना करते समय कुल लागत मद के तहत रॉयल्टी पर विचार नहीं करना चाहिए। इसके अलावा, इस उद्देश्य के लिए दो एमएनपीएसपी की केवल प्रासंगिक लागत पर विचार किया जाना चाहिए।

1.13 एक हितधारक का कहना था कि दूरसंचार कंपनी के बंद होने की वजह से मजबूरी वाले पोर्टिंग के मामले में प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार शून्य होना चाहिए। कुछ हितधारकों ने कहा कि एमएनपी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार को पास–थ्रू प्रभार और टीएसपी को पास किए जाने के लिए पिछले वर्षों के दौरान अधिक प्रभार लिए जाने के कारण अधिक वसूली के रूप में माने जाने चाहिए ताकि भावी पोर्टिंग अनुरोध पर बिना किसी लागत के कार्यवाही की जा सके।

1.14 दूसरी ओर, एमएनपीएसपी ने कहा कि 19 रु. की मौजूदा प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार उचित है और इसे कम नहीं किया जाना चाहिए। बाजार के समेकित परिदृश्य को देखते हुए, उपभोक्ताओं को विभिन्न ऑपरेटरों के लिए पोर्ट करने के कम विकल्प उपलब्ध होंगे, जिससे पोर्टिंग अनुरोधों की संख्या कम हो जाएगी।

1.15 ड्राफ्ट ''दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार (संशोधन) विनियम, 2017'' और ओपन हाउस चर्चा के दौरान हितधारकों से प्राप्त लिखित राय/टिप्पणियों का विश्लेषण किया गया । हितधारकों से प्राप्त राय/टिप्पणियों और अन्य संबंधित तथ्यों पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने यह फैसला किया कि प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार में कमी की जाए क्योंकि एमएनपीएसपी की परिचालन लागतों में काफी कमी आई है और इसी दौरान एमएनपी अनुरोधों की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि भी हुई है।

1.16 इस संशोधन के परिणामस्वरूप मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए उपभोक्ता से वसूले जा सकने वाले प्रभार की उपरी सीमा भी स्वतः उन्नीस रूपये से घट कर चार रूपये मात्र रह जायेगी क्योकि दूरसंचार टैरिफ (उनचासवां संशोधन) आदेश 2009 की अधिसूचना के अनुसार :-

"प्राप्तकर्ता प्रचालक को उपभोक्ता द्वारा दिया जाने वाला पोर्टिंग प्रभार – दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार विनियम, 2009 (2009 का 9) के विनियम 3 के तहत, प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार ही ग्राहक से लिये जा सकने वाले प्रभार की उपरी सीमा होंगे।"